जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/aakrosh/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 21 दिसम्बर 2020

भाग-1

राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बचाने वाले और मंत्री बनने का सपना देखने वाले विधायक राजेन्द्र गुढा ने गाँव की राजनीति में वजूद बचाने के लिए सरकार और पुलिस-प्रशासन का किया दुरूपयोग!!!

स्थानीय जनता में गहरा आक्रोश!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

विधायक राजेन्द्र गुढा और उसके भाइयों की गुंडागर्दी और शोषण के खिलाफ बीते 30 साल से आवाज उठा रहे है महिपाल सिंह और उनका परिवार

इस झगडे की कहानी आज की नहीं वरन 30 साल पुरानी है|इस लडाई में एक पक्ष राजेन्द्र गुढा परिवार से सम्बंधित है,जिनके राजनैतिक रसूखात बहुत पुराने है,सबसे पहले वर्ष 2003 में रणवीर सिंह गुढा MLA बना,2008 में राजेंद्र सिंह बसपा के टिकट पर MLA बना एवं बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा और ईनाम के तौर पर मंत्री पद से नवाजा गया परन्तु 2013 में चुनावी हार का सामना करना पड़ा और अब वर्ष 2018 में फिर बसपा से टिकट लेकर MLA बन गया परन्तु सचिन पायलट की बगावत से अल्पमत में आई अशोक गहलोत सरकार के खेवनखार बनकर उभरे,जिसके ईनाम के तौर पर क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी और दहशत फ़ैलाने के लिए पुलिस प्रशासन के दुरूपयोग करने का आशीर्वाद मिला साथ ही भविष्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने का आश्वासन भी मिला|

वही दूसरा पक्ष राजेन्द्र गुढा परिवार की गुंडागर्दी और शोषणके विरुद्ध आवाज उठाने वाले महिपाल सिंह गुढा और उनके परिवार से सम्बंधित है|विधायक गुढा और उसके परिवार का गाँव में इतना आतंक है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने से भी घबराता है|यह आतंक तब और बढ़ जाता है जब राजेन्द्र सिंह गुढा विधायक बनकर येन-केन प्रकारेण सत्ता में आ जाता है और तब सत्ता के मद में चूर होकर, पुलिस-प्रशासन को अपनी उँगलियों पर नचाते हुए,इनका दुरूपयोग अपने विरोधियों की आवाज कुचलने में करता है|

घायल महिपाल सिंह

इन 30 सालों में इन दोनों पक्षों के बीच कई बार मामूली झड़प से लेकर गोलियां चलने तक के दर्जनों मामले दर्ज हो चुके है|

गुडा गाँव के सरपंच ने दर्ज कराया SC/ST एक्ट में मुकदमा,50 दिन बाद भी सुनवाई नहीं,पुलिस के अनुसार अनुसन्धान जारी

इस झगडे में गाँव के सरपंच ने दातार सिंह के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत दिनांक 27/10/2020 को मुकदमा दर्ज करवाया परन्तु सत्ता का दुरूपयोग देखिये कि मामला दर्ज होने के 50 दिन बाद भी किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी है,पुलिस के अनुसार मामले में अनुसन्धान जारी है|यदि सामान्य प्रकरणों में ऐसे मामलों में कोई साधारण आदमी आरोपी होता तो यही पुलिस उसे पहले गिरफ्तार करती बाद में अनुसन्धान करती|चूँकि मामला सत्ता के सबसे पावरफुल विधायक है इसलिए इस मामले में कहानी उल्टी चल रही है|

पुलिस कर रही विधायक गुढा के पक्ष में एक तरफ़ा कार्यवाही|

दातार सिंह द्वारा महिपाल सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले में दातार सिंह द्वारा 308 की धारा के तहत दिनांक 24/11/2020 को मामला दर्ज करवाया गया था|जिसमे पुलिस द्वारा महिपाल सिंह और अन्य दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है|आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ FIR में 143,341,323,308 में मामला दर्ज किया था वही अनुसन्धान रिपोर्ट में 147,148,149,323,324,326,341,307 की धाराएँ लगा रखी है|जबकि महिपाल सिंह विगत कई समय से झगडे में घायल होने की वजह से बेड रेस्ट पर थे,उनके हाथ पैर में फ्रेक्चर व अन्य छोटे चोटें दिनांक 26/10/2020 को हुए झगडे में हुए थे,जिसके लिए वह दिनांक 05/11/2020 को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आये और दिनांक 12/11/2020 एवं 17/11/2020 को OPD चेकअप करवाया और डाक्टर की सलाह पर कम्पलीट बेड रेस्ट पर थे,इनके यह फ्रेक्चर उनकी गिरफ्तारी के समय भी थे,

जबकि दिनांक 23/11/2020 के झगडे में दातार सिंह के केवल मामूली चोटें आई थी,उसके बावजूद महिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और दातार सिंह के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और नाही FIRमें मुक्कम्मल धाराएँ जोड़ी गयी|

ऐसे में सवाल उठता है कि घायल व्यक्ति कैसे किसी पर जानलेवा हमला कर सकता है और 307 का आरोपी हो सकता है?

पोंख पंचायत में विपक्षी पक्ष को धमकाते, विधायक गुढा और उनके गुर्गे

राजेन्द्र गुढा ने पंचायत समिति के चुनावों में पंचायत समिति सदस्य पद के प्रबल दावेदार अपने पारिवारिक रिश्तेदार की जगह महिपाल सिंह से खुलकर टक्कर लेने के लिए अपने गुर्गे दातार सिंह को बनाया उम्मीदवार

झगडे की शुरुआत तब हुई जब विधायक गुढा द्वारा गाँव के पंचायती चुनावों में अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा नहीं कर ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करने की ठानी जो उनके प्रतिद्वंदी गुट के महिपाल सिंह से सीधी टक्कर ले सके|इसके लिए अपने ख़ास गुर्गे दातार सिंह को चुना|दातार सिंह और महिपाल सिंह के बीच 27/10/2020 से 07/12/2020 के दरमियान 7 मुकदमे दर्ज हुए जिसमे 3 महिपाल गुट की तरफ से जबकि 4 राजेन्द्र सिंह गुढा की तरफ से दर्ज करवाए गए|लेकिन पुलिस ने इन मामलों में विधायक गुढा के दबाव में केवल दातार सिंह के पक्ष को ही सुना|जबकि महिपाल सिंह और उनके पक्ष को विभिन्न मामलों में प्रताड़ित किया गया|

पूछताछ के बहाने पुलिस महिपाल सिंह को ले गयी थाने,उसके बाद विधायक के दबाव में किया गिरफ्तार

विधायक गुढा के दबाव में क्षेत्र के DSP सतपाल सिंह ने पूछताछ के बहाने महिपाल सिंह को थाने बुलाया और वहा पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया|जबकि महिपाल सिंह की गिरफ्तारी से 15 दिन पूर्व इन्ही DSP साहब ने गुडा के बस स्टेंड पर सैकड़ों लोगो के बीच में विधायक से कहा था कि जिस महिपाल सिंह को आप इस मामले(धारा 307) में गिरफ्तार करना चाह रहे है वो तो विगत कई दिनों से बेड रेस्ट पर है वो कैसे मारपीट कर सकता है?ऐसे में फिर इन्ही DSP साहब पर क्या दबाव आया कि उन्हें अपनी बात से मुकरना पड़ा और बेकसूर महिपाल सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा|

गुडा पंचायत समिति में वर्चस्व की लडाई के लिए चुनाव के दिन झगडा,तोड़फोड़,विधायक गुढा के 6 भाई मामले में नामजद|

यह झगडा उस वक्त काफी बढ़ गया जब विधायक गुडा को गाँव की सियासत में हार होती दिखी,जिसका परिणाम यह रहा कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट,तोड़फोड़ के मामले दर्ज हुए और गाँव में दहशत फ़ैल गयी|इस झगडे में महिपाल सिंह गुट की तरफ से विधायक गुढा के 6 भाईयों सतपाल,महिपाल,विजेंद्र, नरेंद्र,संजय और अजय के खिलाफ धारा 143,341,323,336,427 में मुकदमा दर्ज किया गया|लेकिन कार्यवाही एक के विरुद्ध भी नहीं की गयी|

विधायक और उसके भाईयों के आतंक से क्षेत्रवासी त्रस्त

विधायक गुढा और उनके भाईयों का क्षेत्र में इतना आतंक है कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरता है|यह पूरा परिवार इलाके के शराब,खनन,बजरी व्यवसाय में अपनी दखल रखता है,जिसके चलते जहाँ इनके स्वामित्व की शराब की दुकान रात 11 बजे तक खुली रहती है वही प्रतिद्वंदी गुट की शराब की दुकाने शाम 7 बजे ही बंद करवा दी जाती है|ऐसा कोई भी खनन व्यवसायी नहीं होगा जो इन्हें बंधी नहीं देता हो परन्तु स्थानीय पुलिस-प्रशासन में गहरी पैठ के चलते कोई भी आवाज उठाने से डरता है|

विगत कुछ वर्षो से इन भाईयों ने पूरे राजस्थान में विवादित जमीनों पर कब्जे करने और छुड़ाने के ठेके लेने शुरू कर दिए है|जिसके सम्बन्ध में कई FIR राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज है|

विधायक गुढा और उनके 11 भाईयों के विरुद्ध संगीन धाराओं में सैंकड़ों मुक़दमे दर्ज|

आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नहीं बल्कि सभी 11 भाईयों के विरुद्ध सैकड़ों मुक़दमे दर्ज है,कईयों की हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है|

ब्यूरोक्रेसी पर डेमोक्रेसी हावी!!मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में,DG को दी रिश्तेदारी नहीं निभाने की नसीहत

फायरिंग, पत्थरबाजी और तोड़फोड़

मतदान समाप्ति के 10 मिनट

विधायक राजेंद्र गुढ़ा के गांव गुड़ा में फायरिंग, पौंख में गाड़ियों के शीशे तोड़े, किशोरपुरा में फर्जी मतदान को लेकर पत्थरबाजी

पौंख में छह घंटे धरना दिया, रात 10.45 बजे माने ग्रामीण

पौंख में गाड़ियों में तोड़फोड़ मामले में नहीं हुई गिरफ्तारी

रास्ता जाम करने पर 100 से अधिक पर केस दर्ज

विधायक के गुर्गों की गुंडागर्दी राजधानी तक पहुंची

अब तो हद ही हो गयी है विधायक के खास गुर्गे और उसके आदमियों ने भरे बाजार में सिंधीकैंप पर खड़ी महिपाल सिंह के समर्थक की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए,जिससे स्थानीय लोगो में भय व्याप्त है और उनका प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है|वो तो गनीमत रही कि बस में यात्री नहीं थे,अन्यथा मामला और गंभीर हो जाता|हालाँकि इस हमले और तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय सिंधीकैंप थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है पर विधायक गुढा के प्रभाव में किसी सख्त कर्यवाही की उम्मीद करना बेमानी है|

गुड़ा में फायरिंग व पथराव के क्रॉस मुकदमे दर्ज कराए

पांच को मतदान समाप्ति के बाद हुई थी घटना

भास्कर न्यूज | गुढ़ागौड़जी

गुड़ा गांव में पांच दिसबंर को मतदान समाप्त होने के बाद फायरिंग करने तथा पथराव कर दहशत फैलाने के दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस के अनुसार गुड़ा निवासी दातारसिंह ने रिपोर्ट दी है कि ... ने उन पर पथराव कर दिया। इस दौरान काफी लोगों को चोटें आई। पास खड़ी गाडियों में भी तोड़फोड़ की। वहीं दूसरे पक्ष के लक्ष्मणसिंह ने रिपोर्ट दी है कि वह और उसका भाई महावीर चुनाव समाप्त होने के बाद टेंट का सामान लेकर लौट रहे थे। तभी स्कूल के पास एक गाड़ी में सवार होकर आए गुड़ा निवासी ...

इस मामले में महिपाल गुट की तरफ से निष्पक्ष कार्यवाही के लिए DG तक को गुहार की गयी परन्तु विधायक गुढा के दबाव में वह भी निसहाय प्रतीत हो रहे है|सूत्रों के अनुसार यह मामला मुख्यमंत्री के खुद के संज्ञान में है और उन्होंने DG को रिश्तेदारी नहीं निभाने की नसीहत भी दी है|गौरतलब है कि उदयपुरवाटी,जहाँ से राजेन्द्र सिंह गुढा विधायक है,वहा से भाजपा प्रत्याशी श्री शुभकरण चौधरी के कहने पर ही महिपाल सिंह को भाजपा से पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया गया था|

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल?

1. सरकार बचाने की ऐसी क्या मजबूरी जो आप अन्यायी व्यक्ति का साथ दे रहे है?
2. आखिर पूरे देश में कुशल प्रशासनिक /व्यवस्थापक के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे बहुमत के बावजूद भी इस प्रकार के गुंडातत्व को नाजायज सत्ता संरक्षण देकर प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते है?
3. विधायक गुढा और उसके परिवार का आतंक कब तक बर्दास्त करेगी स्थानीय जनता?
4. निर्दोष महिपाल सिंह को बेवजह क्यों फंसाया जा रहा है?
5. राजनीति में पुलिस प्रशासन का दुरूपयोग क्यों किया जा रहा है?